झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची
JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI

सत्र 2010-12 के इंटरमीडिएट पंजीयन हेतु आवश्यक सूचना

विज्ञप्ति संख्या - 57/2011

एतद् द्वारा सत्र 2010–12 के इंटरमीडिएट कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय में पंजीकृत होने वाले सभी नियमित छात्र/छात्राओं, अंगीभूत/डिग्री/संबद्ध महाविद्यालय, राजकीय/राजकीयकृत +2 विद्यालयों, इंटर महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य को सूचित करना है कि विहित शुल्क के साथ भरा हुआ पंजीयन आवेदन पत्र एवं संथाल परगना प्रमण्डल का क्षेत्रीय कार्यालय, दुमका में एवं शेष प्रमण्डलों को परिषद् कार्यालय राँची में जमा करने की निर्धारित तिथि निम्न प्रकार से है–

प्रमण्डल का नाम	विलम्ब शुल्क रहित	विलम्ब शुल्क सहित
दक्षिणी छोटानागपुर	04.07.2011 से 20.07.2011 तक	21.07.2011 से 28.07.2011 तक
उत्तरी छोटानागपुर	05.07.2011 से 21.07.2011 तक	22.07.2011 से 29.07.2011 तक
पलामू प्रमण्डल	06.07.2011 से 22.07.2011 तक	23.07.2011 से 30.07.2011 तक
कोल्हान प्रमण्डल	06.07.2011 से 22.07.2011 तक	23.07.2011 से 30.07.2011 तक
संथाल परगना प्रमण्डल	04.07.2011 से 20.07.2011 तक	21.07.2011 से 28.07.2011 तक

शुल्क की राशि

1. सूचीकरण प्रपत्र शुल्क - ₹70/-
2. सूचीकरण शुल्क - ₹175/-
3. आव्रजन शुल्क - ₹110/-
4. आव्रजन विलम्ब शुल्क - ₹200/-
5. सूचीकरण विलम्ब शुल्क - ₹250/-
6. अनुमति शुल्क - ₹500/- (केवल स्थापना अनुज्ञा प्राप्त महाविद्यालयों के लिए)
7. अनुमति विलम्ब शुल्क - ₹250/- (केवल स्थापना अनुज्ञा प्राप्त महाविद्यालयों के लिए)

* **उपर्युक्त कोटि के सभी महाविद्यालयों (स्थापना अनुज्ञा प्राप्त महाविद्यालयों को छोड़कर)की नियमित छात्राओं के सूचीकरण शुल्क ₹175/- भुगतेय नहीं होगा, अन्य सभी शुल्क देय होंगे।**
* सभी विहित शुल्क बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से **"झारखण्ड एकेडमिक कौंसिल फंड" राँची** के नाम से देय एवं राँची में भुगतेय तथा संथाल परगना प्रमण्डल के लिए **"झारखण्ड एकेडमिक कौंसिल फंड" दुमका** के नाम से देय एवं दुमका में भुगतेय होगा।
* सभी छात्र/छात्राओं एवं महाविद्यालय के प्राचार्य को सूचित किया जाता है कि पंजीयन आवेदन पत्र में विषय का सही चयन पाठ्यक्रम के आलोक में करें, जो विषय आवेदन पत्र में अंकित रहेंगे वही विषय परीक्षा आवेदन पत्र में भी भरे जाएँगे। गलत विषयों का चयन किए जाने पर सारी जवाबदेही महाविद्यालय के छात्रों/प्राचार्यों की होगी।
* उपर्युक्त कोटि के महाविद्यालयों को सूचित किया जाता है कि परिषद् द्वारा निर्धारित छात्र संख्या से अधिक का नामांकन कोई महाविद्यालय बिना परिषद् की अनुमति के नहीं कर सकता है। यह मान लिया जाए कि निर्धारित सीटों की संख्या पूरी हो चुकी है उनमें से कुछ छात्र स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र लेकर बाहर चले जाते हैं तो उन रिक्त सीटों पर भी नामांकन के लिए परिषद् की अनुमति अनिवार्य है।
* जिन महाविद्यालयों को स्थापना अनुज्ञा हेतु अनुमति पत्र परिषद् द्वारा प्राप्त है, वे ही पंजीयन प्रपत्र जमा करेंगे। साथ ही पत्र की छायाप्रति भी अवश्य संलग्न करेंगे।
* सभी महाविद्यालयों/+2 विद्यालयों के प्राचार्यों को सूचित किया जाता है कि पंजीयन प्रपत्र अग्रसारित करते समय ध्यान देंगे कि जिन छात्र/छात्राओं का आव्रजन प्रमाण पत्र जमा करना है पंजीयन के साथ संलग्न किया गया है। अगर पंजीयन प्रपत्र में आव्रजन प्रमाण पत्र के बिना पंजीयन प्रपत्र अग्रसारित किया जाता है तो ऐसी स्थिति में परिषद् द्वारा छात्र का पंजीयन प्रपत्र रद्द कर दिया जायेगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य की होगी।
* सभी कोटि के प्राचार्यों को सूचित किया जाता है कि परिषद् द्वारा निर्धारित शुल्क जो विज्ञप्ति में दी गई है, के अनुसार ही शुल्क की राशि परिषद् में जमा करेंगे।
* निर्धारित तिथि के उपरान्त पंजीयन प्रपत्र स्वीकार नहीं किए जायेंगे।

अध्यक्ष के आदेशानुसार,
ह./-
(यमुना गिरि)
सचिव,
झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।

JAC/विज्ञप्ति/4290/10/SECY/303/11
Dt. 17.06.2011
D.O.P : 18.06.2011